

Amendment of Patent laws

@2343A. SHRIMATI PREMILA BAI DAJISAHEB CHAVAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the existing Patent laws do not provide deterrent punishments to the offenders who are cheating the consumers on a large scale through sale of spurious goods; and

(b) if so, whether Government are considering any proposal to amend the existing laws on the subject for making the sale of such spurious goods a cognizable offence?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) The Patent laws deal with grant of Patents for inventions and are not concerned with the sale of spurious goods.

रसीदों टिकटों का पकड़ा जाना

@@2343B. श्री कलराज मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई पुलिस के आसूचना विभाग द्वारा दक्षिणो बम्बई स्थित मोदी रोड के एक छापेखाने से सोमालिया और सउदी अरब की सरकारों के एक करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के जाली रसीदों टिकट पकड़े जाने के संबंध में 22 सितम्बर, 1982 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० बंकटसुब्बया (क) और (ख) बम्बई की खुफिया

@Previously unstarred question 1976 transferred from the 2nd November, 1982.

@ @Previously unstarred question 1902 transferred from the 2nd November 1982

पुलिस द्वारा मोदी सड़क के एक छापेखाने पर मारे गए छापे के दौरान छापेखाने से सोमालिया और सउदी अरब सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जाली राजस्व टिकटों के पकड़े जाने के विषय में 22 सितम्बर, 1982 के दैनिक "जागरण" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था ।

2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य दूतावास, नई दिल्ली के द्वितीय सचिव श्री अब्दुल्लाही अदन रोबल ने 17-9-82 को बम्बई पुलिस से संपर्क स्थापित किया और शिकायत की थी कि लगभग डेढ़ वर्ष से एक जाली अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परिचालन में हैं, जिन्हें उनकी सरकार द्वारा जारी किया गया बताया जाता है । उनकी जांच से यह मालूम हुआ है कि इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित जाली कागजात बम्बई में छापे जाते थे । उनकी शिकायत दर्ज की गई और बम्बई पुलिस द्वारा भारतीय दंडसंहिता की धारा 465, 467-468, 471, 474 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । मामले को दर्ज करने के बाद 17-9-82 को पुलिस ने मसज रणजीत प्रिन्टर्स के कार्यालय की तलाशी ली । पुलिस द्वारा सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य के कई रिक्त पासपोर्ट, रिक्त अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, रिक्त रियायती परमिट, राजस्व टिकटें और संबंधित छापेखानों के ब्लाकों के साथ कई रिक्त फार्म, अप्रवासन अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सोमाली लोकतांत्रिक गणतंत्र किंगडम आफ सउदी अरब, इराक, गणतंत्र द्वारा प्रयुक्त सीलें और टिकटें बरामद की गई । छापेखाने को चलाने वाला अमरजीत सिंह सुपुत्र नारायण सिंह कोहली, नामक व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित था । उसे